

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: अ०सां०नि०/स्था०-12-09/2018 पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, कैमूर, भागलपुर, भोजपुर,
बक्सर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, अरवल,
कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा,
पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान,
सुपौल, एवं वैशाली।

विषय:- केन्द्रीय योजनागत योजना "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना" शीर्ष के
अन्तर्गत छठी लघु सिंचाई गणना, संदर्भ वर्ष 2017-18 हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में
स्वीकृत्यादेश संख्या-1480 दिनांक 17.07.2018 के आलोक में ₹78,13,597/- (अट्ठहत्तर लाख
तेरह हजार पाँच सौ सन्तानवे) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय, लघु सिंचाई (सांख्यिकी)
प्रभाग के पत्र संख्या-V-57015/1/2018.MI(Stat)143 दिनांक-06.08.2018 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना,
छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 7,88,66,460/- (सात करोड़ अट्ठासी लाख छियासठ
हजार चार सौ साठ रुपये) एवं जल निकाय की गणना हेतु 6,61,22,975/- (छः करोड़ एकसठ लाख बाईस
हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये) का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त पत्र की कंडिका 2(i) में
छठी लघु सिंचाई गणना से संबंधित प्रपत्रों के मुद्रण एवं प्रशिक्षण हेतु 78,13,597/- (अट्ठहत्तर लाख तेरह
हजार पाँच सौ सन्तानवे रुपये) वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. कंडिका-01 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा
उपलब्ध/विमुक्त की गई राशि 78,13,597/- (अट्ठहत्तर लाख तेरह हजार पाँच सौ सन्तानवे रुपये) संलग्न
विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए आवंटित की जाती है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु
शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष- 0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना
शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050405 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः
सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा संबंधित सभी
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर संबंधित आवंटन आदेश
की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करेंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना
होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के
लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन CTMIS की सत्यापित प्रति के साथ प्रत्येक माह की 08वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.98, बिहार वित्त नियमावली एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा ।
9. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-1480 दिनांक 17.07.2018 के आलोक में नियमानुसार छोटी लघु सिंचाई गणना एवं जल निकाय गणना संदर्भ वर्ष 2017-18 से संबंधित प्रपत्रों के मुद्रण एवं प्रशिक्षण पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक06...../पटना, दिनांक03-10-18.....

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना

2. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक 03/10

